उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण "उरेडा" देहरादून

सूचना अधिकार अधिनयम- **2005**

मैनुअल

संख्या - **07**

किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं-

उरेडा द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में जनता का प्रतिनिधित्व एवं सामन्जस्य स्थापित किये जाने के उददे्श्य से विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों, उपभोक्ताओं के समितियॉ का गठन किया गया है। इन समितियों की समय-समय पर बैठकें होती है एवं जन प्रतिनिधियों के विचार -परामर्श पर कार्यवाही की जाती है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु गठित ऊर्जा समितियों के बाय-लाज संलग्न हैं।

क.स.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय पर जनता की भागीदारी अनिवार्य है।(हॉ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	लघु जल विद्युत योजनाऐं	नहीं	लघु जल विद्युत उपभोक्तासमिति का गठन कर योजनाओं के निर्माण से योजनाओं के संचालन एवं विद्युत वितरण समितियों के निर्देशन में किया जाता है।
2	घराटों का सुदृढीकरण	नहीं	घराट का निर्माण,संचालन एवं विद्युत वितरण उपभोक्ता द्वारा स्वंय किया जाता है।
3	सोलर पावर फेंन्सिंग योजना	नहीं	फेंन्सिंग की स्थापना से पूर्व समिति का गठन किया जाता है जो योजना के निर्माण से संचालन तक का निर्देशन समिति द्वारा किया जाता है।

नीति के कार्यान्वयन हेतु -

लघु जल विद्युत योजनाओं, घराट सुधारीकरण, सौर ऊर्जा से ग्रामीण विद्युतीकरण, सोलर पावर फेंन्सिंग योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनियों/लाभार्थियों/ उपभोक्ताओं की गठित समिति के बैठकें आयोजित होती है, जिसमें योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उनके परामर्श आदि दिये जाते हैं, जिन पर कार्यवाही की जाती है।